संदर्भ सं.: आईआरडीएआई/इंश्योरटेक/बीमासुगम_विनियम/2023-24
Ref. No: IRDAI/InsurTech/Bimasugam_Regulation/2023-24 13.02.2024

**एक्सपोज़र प्रारूप**
**Exposure Draft**

# आईआरडीएआई (बीमा सुगम - बीमा इलेक्ट्रानिक विपणन स्थान) विनियम, 2024
# IRDAI (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024

पालिसीधारकों के हितों को सशक्त बनाने और उनका संरक्षण करने, भारत में बीमा का व्यापन बढ़ाने तथा उसकी उपलब्धता, पहुँच और वहनीयता में वृद्धि करने के लिए "बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक विपणन स्थान" कहलानेवाली एक डिजिटल सरकारी बुनियादी संरचना स्थापित करने का प्रस्ताव है।
A Digital Public Infrastructure called "Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace" is proposed to be established to empower and protect the interest of policyholders, to increase penetration of insurance in India and to enhance availability, accessibility and affordability.

समूचे बीमा मूल्य-चक्र में पारदर्शिता, कार्यकुशलता, सहयोग, बीमा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीगत नवोन्मेषण को बढ़ावा देने, बीमा को सार्वजनिक और लोकतांत्रिक बनाने, तथा "2047 तक सबके लिए बीमा" की परिदृष्टि को साकार करने के लिए ग्राहकों, बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों या बीमा मध्यवर्तियों और बीमा एजेंटो की तुलना में सभी बीमा हितधारकों के लिए बीमा सुगम एक समग्र सेवा समाधान (वन स्टाप सोल्यूशन) होगा।
Bima Sugam shall be a one stop solution for all Insurance stakeholder's vis-a-vis customers, insurers, intermediaries or insurance intermediaries and insurance agents to promote transparency, efficiency, collaboration across the entire insurance value chain, technological innovation in insurance sector, universalize and democratize insurance and to achieve the vision of "Insurance for all by 2047".

बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक विपणन स्थान की स्थापना, अभिशासन, कार्यचालन के लिए विनियामक ढाँचा निम्नलिखित के साथ निर्धारित करने का प्रस्ताव है: -
Regulatory framework for establishment, governance, functioning of the Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace with following is proposed to be laid down: -

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अनुसार लाभ-रहित (नाट फ़र प्राफिट) कंपनी बनाई जाएगी।
a) Not for profit company shall be formed as per Sec 8 of Companies Act, 2013.
ख) बीमा हितधारकों के लिए विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए कंपनी उक्त विपणन स्थान (मार्केट प्लेस) की स्थापना करेगी, उसे सुविधा देगी, उसका विकास, परिचालन और अनुरक्षण करेगी।
b) The company shall establish, facilitate, develop, operate and maintain the Marketplace for providing various services to the insurance stakeholders.

ग) कंपनी की शेयरधारिता जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के बीच व्यापक रूप से वहन की जाएगी तथा नियंत्रण करने का हित (स्टेक) किसी एक संस्था के पास नहीं होगा। जब भी आवश्यक होगा, तब शेयरधारक पूँजी में अंशदान करेंगे।

c) Shareholding of the company widely held amongst life, general and health insurers and no single entity having controlling stake. Shareholders shall contribute to capital as and when required.

घ) आईआरडीएआई कंपनी के बोर्ड में दो सदस्यों को नामित करेगा।

d) IRDAI would nominate two members on the Board of Company.

ङ) विभिन्न जोखिमों को कम करने के लिए बोर्ड को एक जोखिम प्रबंध समिति का गठन करना होगा।

e) Board to constitute a Risk Management Committee to mitigate various risks.

च) कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ की नियुक्ति के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन आवश्यक होगा।

f) Prior approval of Authority for appointment of Chairperson & CEO of the Company.

छ) सेवाओं के लिए सहमति पर आधारित संरचना होगी।

g) Consent based architecture for the services.

ज) बीमा सुगम की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं से कोई प्रभार वसूल नहीं किया जाएगा।

h) Consumers shall not be charged for availing services of Bima Sugam.

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रानिक विपणन स्थान) विनियम, 2024 का प्रारूप तैयार किया गया है और इसके साथ संलग्न (अनुबंध-ख) है।

The draft Insurance Regulatory and Development Authority of India (Bima Sugam - Insurance Electronic Marketplace) Regulations, 2024 is prepared and annexed herewith **(Annexure-A)**.

सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे प्रस्तावित विनियमों के संबंध में अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, संलग्न फार्मेट **(अनुबंध-ख)** में 4 मार्च 2024 को अपराह्न 5:00 बजे या उससे पहले sageena@irdai.gov.in को अग्रेषित करें और उसकी प्रति keshav@irdai.gov.in को भेजें।

All the stakeholders are requested to forward their comments / suggestions, if any, on the proposed regulations in the attached format **(Annexure- B)** on or before 5:00 PM on 4th March, 2024 to sageena@irdai.gov.in with a copy to keshav@irdai.gov.in.